

प्रपत्र-1

बिहार निःशक्तता पेंशन के निमित्त आवेदन पत्र

(दो प्रतियों में समर्पित किया जायेगा)

1. आवेदक का नाम :-

2. पिता या पति का नाम :-

3. पता :- ग्राम/मुहल्ला :-

पंचायत / नगर :-

वार्ड :-

थाना :-

डाकघर :-

प्रखण्ड :-

अनुमंडल :-

जिला :-

4. आयु (आवेदन पत्र देने की दिन) :-

(आयु के संबंध में किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी)

5. (क) यदि गरीबी रेखा के अधीन सूचीबद्ध हों तो उसका बी०पी०एल० क्रमांक एवं प्राप्तांक अंकित किया जाय ।

बी०पी०एल० क्रमांक एवं प्राप्तांक

(ख) यदि बी०पी०एल० में सूचीबद्ध नहीं हो तो वार्षिक आय :-

(वार्षिक आय के संबंध में किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी)

6. विकलांगता :- (क) यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

प्रमाण-पत्र में अंकित विकलांगता का प्रकार :- एवं विकलांगता का प्रतिशत

(ख) यदि विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो तो विकलांगता का स्वरूप -

.....

((ख)) के मामले में मेडिकल बोर्ड से विकलांगता की जाँच एवं प्रमाणीकरण कराकर 40 प्रतिशत से अधिक

विकलांगता होने पर आवेदन की स्वीकृति में निर्णय लिया जायेगा)

7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -

(क) मैं, मूलतः बिहार का वासी हूँ । विगत 10 वर्षों से बिहार राज्य में रह रहा/रही हूँ ।

(10 वर्ष से कम आयु के निःशक्तजनों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है) ।

(ख) यदि इसके पूर्व आवेदन-पत्र दिया गया हो तो उस पर निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :- स्वीकृत/अस्वीकृत/कोई सूचना नहीं ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है । यदि कोई विवरण झूठा पाया जाय तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में भुगतान की गयी राशि राजस्व के बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय । (जो लागू न हो उसे काट दें)

8. आवेदन की तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर या

अंगूठे का निशान

टिप्पणी :- आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद आवेदक द्वारा अपने सामान्य निवास के पंचायत कार्यालय/नगर वार्ड या प्रखंड कार्यालय में जमा किया जायेगा ।

जांच प्रतिवेदन

आवेदक/आवेदिक

पता/पंति

ग्राम

पं०

के निवासी है। इनकी आयु.....वर्ष है। इनके विकलांगता का

प्रकार

तथा प्रतिशत.....है। पूर्व से इन्हें किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला

है। बिहार निःशक्तता पेंशन की स्वीकृति दी जा सकती है।

पंचायत सचिव / पर्यवेक्षक

बिहार निःशक्तता पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

दिनांकसे बिहार निःशक्तता पेंशन स्वीकृत।

अनुमण्डल पदाधिकारी